राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

फाईल सं0 जेएचके–2/42011--सामान्य

श्री अशोक टोप्पो, करम टोली के अभ्यावेदन से संबंधित दिनांक 26–10–2012 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

श्री बी0 बाराकी, परियोजना निदेशक, डीआरडीए, रांची बैठक में उपस्थित थे।

2. श्री अशोक टोप्पो, पुत्र स्व0 गंदुरा टोप्पो (अनुसूचित जनजाति) कर्मटोली, रांची ने माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को आरोपित जमीन माफिया द्वारा स्थानीय मीडिया व्यक्ति के साथ सांठगांठ करके काटा सं0 27 प्लॉट सं0 563 और 564 पर स्थित उनकी रैयती जमीन को हथियाने का प्रयास करने से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

3. श्री टोप्पो ने यह भी प्रस्तुत किया कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रांची में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को, जिला प्रशासन की मदद से रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकारी द्वारा हटाया जा रहा है। काटा सं0 27, प्लाट सं0 563-564 पर स्थित उनकी रैयती जमीन बुटी मोड़ पर राजभवन के पास स्थित है। क्योंकि प्लॉट शहर के बीचो बीच स्थित है जिसे जमीन माफिया और सभ्य समाज बर्दास्त नहीं कर रहे हैं इसलिए वे इसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और वे प्लॉट पर बने सामुदायिक भवन को तोड़ना चाहते हैं। श्री टोप्पो ने मामले में एक उच्च स्तरीय जॉच बैठाने और उनकी जमीन को जमीन माफिया से बचाने का निवेदन किया।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची ने कार्यालय के दिनांक 20 05 2011 के पत्र सं0 जेएचके 2/4/2011 सामान्य द्वारा संबंधित मुद्दे को उपायुक्त, रांची के समक्ष उठाया, लेकिन उपायुक्त, रांची से कोई भी उत्तर नहीं मिला।

5. श्री बी.एन. चौबे, उपायुक्त, रांची ने प्रशासन की ओर से मामले पर चर्चा करने के लिए श्री बी0 बाराकी, परियोजना निदेशक, डीआरडीए, रांची को प्रतिनियुक्त किया। परियोजना निदेशक, डीआरडीए, रांची ने माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि प्लॉट पर निर्मित इमारत को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के आदेश पर सील करने का कार्य किया गया है।

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने, यह सूचना प्राप्त होने पर कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई थी, यह निर्णय लिया कि आयोग के द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, अतः मामले को बंद कर दिया गया।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi